



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सम्प्रदाय प्रकाशित	Published by Authority
माघ 25, मंगलवार शाके 1938-फरवरी 14, 2017 Magha 25, Tuesday, Saka 1938-February 14, 2017	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 08, 2017

जी.एस.आर.114 :-राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम सं. 14) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "अधिनियम" से राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम सं. 14) अभिप्रेत है;
- (ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है; और
- (ग) "छात्र" से पहली कक्षा से बारहवीं कक्षा तक में अध्ययन करने वाला छात्र अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट किया गया है।

3. माता-पिता-अध्यापक संगम की बैठक संचालित करने के लिए प्रक्रिया.- (1) विद्यालय का प्रधानाचार्य या मुखिया अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन गठित माता-पिता-अध्यापक संगम का अध्यक्ष होगा। माता-पिता-अध्यापक संगम का सचिव विद्यालय का कोई वरिष्ठ अध्यापक होगा जो विद्यालय के प्रधानाचार्य या मुखिया द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) माता-पिता-अध्यापक संगम का अध्यक्ष संगम की बैठक बुलायेगा। सचिव माता-पिता-अध्यापक संगम के समस्त सदस्यों को, प्ररूप-1 में, बैठक से पन्द्रह दिन पूर्व नोटिस जारी करेगा।

(3) नोटिस में बैठक का स्थान, समय और कार्यसूची अंतर्विष्ट होगी। नोटिस माता-पिता-अध्यापक संगम के प्रत्येक सदस्य पर ऐसी रीति से तामील किया जायेगा जैसी माता-पिता-अध्यापक संगम का अध्यक्ष उचित समझे और विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा। यह प्रत्येक कक्षा में भी परिचालित किया जायेगा और विद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जायेगा, यदि उसमें ऐसी सुविधा उपलब्ध हो।

(4) बैठक की गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या का दस प्रतिशत होगी, गणपूर्ति के अभाव में, अध्यक्ष आधे घण्टे के लिए बैठक स्थगित करेगा और यदि गणपूर्ति नहीं होती है, तो बैठक स्थगित कर दी जायेगी और पन्द्रह दिन पश्चात् पुनः बुलाई जायेगी।

(5) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपरिस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनके बीच में से चुने गये पीठासीन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(6) माता-पिता-अध्यापक संगम का सचिव बैठक की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर कार्यवृत्त तैयार करेगा। कार्यवृत्त विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किये जायेंगे और विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे, यदि उसमें ऐसी सुविधा उपलब्ध हो। बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी और राज्य सरकार को, जब कभी अपेक्षित हो, उपलब्ध करवायी जायेगी।

4. माता-पिता-अध्यापक संगम के कर्तव्य और कृत्य.— संगम निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :-

- (i) विद्यालय स्तरीय फीस समिति द्वारा यथा विनिश्चित शिक्षण फीस, अवधि फीस और पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों के लिए फीस के बारे में जानकारी प्राप्त करना;
- (ii) योजना के अनुसार पाठ्यक्रम के पूर्ण होने का संप्रेक्षण करना;
- (iii) अन्य पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों की योजना के लिए विद्यालय की सहायता करना; और
- (iv) पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों की आवश्यकताओं का निर्धारण करना।

5. विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन.— (1) माता-पिता-अध्यापक संगम के गठन के दस दिन के भीतर, विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन की प्रक्रिया के बारे में विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में व्यापक प्रचार किया जायेगा। विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन के लिए नोटिस, जो सात दिन से कम का नहीं होगा, माता-पिता-अध्यापक संगम के प्रत्येक सदस्य पर ऐसी रीति में तामील किया जायेगा जैसी माता-पिता-अध्यापक संगम का अध्यक्ष उचित समझे

